

2021
372

21/321
23-11-21

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
प्रार्थना पत्र	294 2021	23-11-21	रायला			

अनवान

श्री अंबर लाल पिता गोवर्धन पारिक बनाम श्री राज ० सरवर्क
किवासी रायला



निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेष्यो.

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. रायल

महोदय, वस्तु खेरीगेशन के खातेदार का नाम कुशांत, कुशाग्र दर्ज हो गया जो गलत है तथा वस्तु नामांकन लिपिकीय त्रुटि से कुशाग्र दर्ज हुआ जो गलत है। अखेट के दस्तावेज में नाम कुशाग्र पुत्र हरिशकुमार है जो सही है। उम्मत सुद्धि किया जाना उचित है।

प० ह० रायल
28/11/21

11.11.21
29/11/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं I.R अनुसार प्रार्थी का नाम अंतरा 44, 43, 442, 443 में कुशांत, कुशाग्र, कुशाग्र से सुद्धि कर कुशाग्र पुत्र हरिशकुमार किया जाना उचित है।

28/11/21

आदेश

ना. तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किये जाने उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर [redacted] जिला [redacted]
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प [redacted]

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 21/11/21
व भूअनि. 21/11/21 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार [redacted] /नायब
तहसीलदार [redacted] की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम [redacted] तहसील [redacted] व
जिला-सज्जामन्द की जमाबन्दी संवत् 2873-76 में खाता संख्या 943, 942, 943, 944 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	जामला	943	कुशाग्र sl0 हरिशकुमार	कुशाग्र sl0 हरिशकुमार
02		942	कुशाग्र do	do
03		43	कुशाग्र do	do
04		44	कुशाग्र do	do

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक :- 29/11/21

DN 321
29-11-21

क्रमांक:-
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपलोक अदालतकारी बनेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
अभियान-2021